

अज्ञात  
8/1/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
पुनः १७७५५ २१.३.५१. वि. देवायन शू- की ६.१६ (कुचामन)	बी म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 314/2021		GCMS No. 2021/1107
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8/1/2021	<p>वादी श्री पुनः १७७५५ २१.३.५१. वि. देवायन शू-की ६.१६ जाति निवासी कुचामन द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत कुचामन में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2074-2075 ग्राम कुचामन पटवार मण्डल कुचामन के खाता नम्बर 478 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम २१.७.३२५ ५१. वि. देवायन शू-की ६.१६ कुचामन है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर मतदाता पहचान पत्र BFO ७७७/२०२०/११५ अन्य दस्तावेज विचामन के पास पुनः १७७५५/२०२०/११५ ३० जरीया की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी कुचामन भू.अ.नि ५१२५१ एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

1281-1283



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)